Witness .....PW. 03..... for.....अभियोजन साक्षी.....Deposition taken

the.....17 th .....day of.....March 2023 .....Witness's apparent age.....55.....
Sates on affirmation ..... My name is. . **राजकुमार वर्मा**
Son of ..... श्री सहसराम वर्मा .....occupation..... कृषि.....
address..... ग्राम–सतभावां, थाना–नेवरा तिल्दा, जिला–रायपुर छ0ग0.....

समय– 12:25 बजे

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री आर0एस0 भामरा, अतिरिक्त लोक अभियोजक वास्ते शासन

1– न्यायालय में उपस्थित प्रेमकुमारी वर्मा को मैं जानता व पहचानता हूं। साक्षी को आरोपी कमल कुमार वर्मा का गिरफ्तारी पत्रक में चस्पा फोटो को दिखाये जाने पर साक्षी ने कमल कुमार वर्मा को पहचानना व्यक्त किया।

2– मृतिका खिलेश्वरी वर्मा मेरी पुत्री थी जिसका विवाह वर्ष 2018 में सामाजिक रीति से दीपक वर्मा निवासी छपोरा जिला–रायपुर के साथ हुआ था। दोनों के दाम्पत्य जीवन से एक पुत्री है। दिनांक 20 जून 2020 को मुझे सूचना प्राप्त हुई कि उसके पेट में दर्द है और उसे नेवरा तिल्दा के खुशी हॉस्पिटल ले गये हैं। मैं अपने गांव सतभावां से दूसरे दिन हॉस्पिटल अपने पुत्री खिलेश्वरी को देखने गया, खिलेश्वरी से मैं जब मिला तब वह थोड़ी ठीकठाक थी, वह बोल नहीं पा रही थी। हॉस्पिटल में पहुंचने से मुझे जानकारी लगा कि खिलेश्वरी जहर का सेवन कर ली है। खिलेश्वरी हॉस्पिटल में 2 दिन भर्ती रहने के दौरान उसकी मृत्यु हॉस्पिटल में ही हो गयी थी। मृत्यु उपरांत हॉस्पिटल में थाना तिल्दा नेवरा की पुलिस पहुंच गयी थी। पुलिस द्वारा शव का पंचनामा उपरांत शव के परीक्षण हेतु सी.एच.सी. तिल्दा नेवरा ले गये थे, जहां पोस्टमार्टम उपरांत खिलेश्वरी के शव को उसके अंतिम संस्कार हेतु उसके ससुराल पक्ष को दे दिये थे।

3– मृतिका खिलेश्वरी का अंतिम संस्कार ग्राम छपोरा के मुक्तिधाम में किया गया। उसके अंतिम संस्कार में मैं शामिल हुआ था और वापस अपने घर सतभावां आने पर मेरी पत्नी मीना बाई ने मुझे बतायी थी कि हमारे समधिन आरोपीगण ने खिलेश्वरी को दबाव बनाया था।

4– थाना तिल्दा नेवरा की पुलिस मुझसे पुत्री खिलेश्वरी व दामाद दीपक वर्मा का वैवाहिक पत्रिका जब्ती पत्रक **प्र0पी–3** अनुसार मेरे पेश करने से जब्त किये थे, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। जब्ती पत्रक प्र0पी–3 अनुसार जब्त मंगल परिणय का वैवाहिक पत्रिका **आर्टिकल–ए–1** है। थाना तिल्दा नेवरा की पुलिस मुझे पूछताछ कर मेरा बयान दर्ज किये थे।

Witness .....PW. 03..... for.....अभियोजन साक्षी.....Deposition taken

टीप :–इसी स्तर पर अतिरिक्त लोक अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गयी। विचार बाद अनुमति प्रदान की गयी।

5– यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस को बयान देते समय यह बताया था कि मेरी पत्नी मीना ने मुझे बताया था कि पुत्री खिलेश्वरी उसे बताया करती थी कि उसकी सास अपनी बड़ी बहन की तारीफ करते हुये कहती थी कि उसके मायके वाले उसे सोने का झुमका तथा बेटे को सोने की चैन व मोटर सायकल दिये हैं, तुम्हारे मां–बाप गौटिया है बोलते हैं, लेकिन नहीं दिये हैं। साक्षी को उसका पुलिस कथन **प्र0पी–4** के अ से अ भाग ''मेरी पत्नी.....नहीं दिये हैं,'' तक का कथन साक्षी को पढ़कर सुनाये जाने से साक्षी ने ऐसा कथन पुलिस को देने से इनकार किया।

6– यह कहना सही है कि मैंने पुलिस को **प्र0पी–4** का बयान देते समय यह बताया था कि मेरी पत्नी मीना ने मुझे बतायी थी कि खिलेश्वरी ने उसे बताया था कि उसका देवर कमल कुमार वर्मा उसे गलत निगाह रखता था जिसके कारण खिलेश्वरी कमल कुमार वर्मा से बातचीत नहीं करती थी इसी कारण से खिलेश्वरी के साथ उसकी सास प्रेमकुमारी और देवर कमल कुमार वर्मा विवाद व गाली गलौच करते थे। इन्ही बातों से मेरी पुत्री खिलेश्वरी परेशान रहती थी। यह कहना सही है कि मैंने पुलिस को बताया था कि मेरी पुत्री खिलेश्वरी की सास प्रेमकुमारी के उक्त व्यवहार से परेशान होकर तथा देवर कमल कुमार वर्मा के द्वारा गलत निगाह रखने से परेशान व प्रताड़ित होकर कीटनाशक का सेवन कर आत्महत्या कर ली है।

समय : 1:00 बजे

साक्षी को पढकर सुनाया गया । मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।

सही होना स्वीकार किया ।

सही/–
(विजय कुमार मिंज)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

सही/–
(विजय कुमार मिंज)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी का हस्ताक्षर.....

नोट - आज दिनांक ०२-११-२०२३ को साक्षी राजकुमार वर्मा को पुनः शपथ दिलाकर उसका प्रतिपरीक्षण प्रांरभ किया गया।

समय–१:१५

Witness .....PW. 03..... for.....अभियोजन साक्षी.....Deposition taken

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री आर0एम0 शुक्ला अधिवक्ता वास्ते आरोपीगण</u>

०७– यह कहना सही है कि मैंने न्यायालय मुख्य परीक्षण् में जो कथन किया है इतना ही मैंने पुलिस को बताया था इसके अलावा कुछ नहीं बताया था। यह कहना सही है कि मैंने समधिन एवं अन्य आरोपीगण द्वारा खिलेश्वरी पर दबाव बनाने वाली बात नहीं बतायी थी। यह कहना सही है कि मेरी पुत्री खिलेश्वरी ने मुझे ससुराल की कोई बात कभी नहीं बतायी थी। यह कहना सही है कि मैंने पुलिस को अपना बयान देते समय प्र०पी–४ के कंडिका –५ एवं ६ में उल्लेखित कथन नहीं दिया था, पुलिस ने कैसे लिख दिया इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

०८– यह कहना सही है कि हमारे घर में जितने सदस्य व जितने रिश्तेदार वह एक दूसरे के सुनी सुनाई बातों पर पुलिस वालों को बताये थे। यह कहना सही है कि प्र०पी–४ के ब से ब "पुत्री खिलेश्वरी .....आत्महत्या की है" तक का कथन मैंने पुलिस नहीं दिया था, यदि पुलिस कथन में उक्त बातें लिखी है तो मैं उसका कारण नहीं बता सकता हूं। यह कहना सही है कि पुलिस वालों ने घटना के संबंध में मेरा आैर मेरा पत्नी का तथा मेरे बेटे योगेश व दामाद का बयान एक ही दिन बारी–बारी से लिया था, बयान हमारे घर में आकर लिया गया था। यह कहना सही है कि जो कथन मेरी पत्नी ने पुलिस को दिया था वैसा ही कथन उपरोक्त सभी लोगों ने पुलिस को दिया था। खिलेश्वरी की पुत्री का नाम मुझे याद नहीं है वह अपने पिता के पास ग्राम छपोरा में रहती है।

०९– यह कहना गलत है कि मैंने खिलेश्वरी के पिता होने के कारण न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूं।

टीप ः–न्यायालय द्वारा धारा–१६५ द.प्र.सं. के तहत पूछे गये प्रश्न ः–

१०– आपने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि "मेरी पत्नी मीना बाई ने मुझे बतायी थी कि हमारे समधिन आरोपीगण ने खिलेश्वरी को दबाव बनाया था'' तथा अपने प्रतिपरीक्षण में यह बात बताया है कि मैंने समधिन एवं अन्य आरोपीगण द्वारा खिलेश्वरी पर दबाव बनाने वाली बात नहीं बतायी थी, दोनों में से कौन सी बातें सही है ? तब साक्षी ने कहा कि मैंने

Witness .....PW. 03..... for.....अभियोजन साक्षी.....Deposition taken

प्रतिपरीक्षण में जो बतायी है वह बातें सही है।

समय : 1:40 बजे

साक्षी को पढकर सुनाया गया ।
सही होना स्वीकार किया ।

सही/–
(विजय कुमार मिंज)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।

सही/–
(विजय कुमार मिंज)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
रायपुर (छ0ग0)

साक्षी का हस्ताक्षर.....